रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122020-223589
CG-DL-E-08122020-223589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2020/अग्रहायण 17, 1942
No. 623] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2020/AGRAHAYANA 17, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 754(अ).—निम्नलिखित कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215ख की उप-धारा (1), धारा 215ग की उप-धारा (1) और धारा 215ग की उप-धारा (2) के उप-खंड (ग), (घ) तथा (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा,

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: js-tpt@gov.in; पर भेजे जा सकेंगे,

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त किए जाए उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) 'अधिनियम' से मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना

(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसे समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के लिए, इस अधिनियम की धारा 215ख की उप-धारा (1) के अनुसार एक बोर्ड का गठन करेगी, जिसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड कहा जाएगा।

(2) बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा।

(3) यह बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

4. बोर्ड की संरचना.-

(1) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जो उप-धारा, (2) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं नियुक्त अध्यक्ष और तीन से अन्यून किन्तु सात से अनधिक सदस्य जो उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं:

परंतु कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है या रहा है, को निम्नलिखित के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा -

(i) अध्यक्ष, जब तक कि उन्होंने भारत सरकार में सचिव या इसके समतुल्य का पद धारित न किया हो;

(ii) कोई सदस्य, जब तक कि वह भारत सरकार में अपर सचिव या इसके समतुल्य का पद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारित न किया हो;

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में नहीं हैं या नहीं रहा है, निम्नलिखित के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा-

(i) अध्यक्ष, जब तक कि उसने उप-नियम (2) के अधीन उल्लिखित किसी क्षेत्र में 20 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के साथ 55 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ii) कोई सदस्य, जब तक कि उसने उप-नियम (2) के अधीन उल्लिखित किसी क्षेत्र में 20 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के साथ 45 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या उसके प्रतिनिधि एक पदेन सदस्य होंगे।

(2) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य ऑटोमोबाइल, सड़क परिवहन और सुरक्षा, शहरी योजना, विधि, यातायात प्रबंधन और विनियमन, स्वास्थ्य या वकालत, पुलिस प्रवर्तन और अन्वेषण, बीमा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, विपणन और संचार में से एक या अधिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान, या वृतिक अनुभव, जो केंद्रीय सरकार

की राय में बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोगी है, रखने वाले योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित रीति से चयनित होंगे और उनकी नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

5. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल.-

(1) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने से पूर्व केंद्रीय सरकार स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित तो नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(2) अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे और अधिकतम एक और कार्यकाल के लिए पुन:नियुक्ति के पात्र होंगे।

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य पद धारित नहीं करेगा यदि उसने -

(क) अध्यक्ष के मामले में, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

(3) अध्यक्ष का वेतन, भत्ता एवं सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें, भारत सरकार के सचिव के समतुल्य होंगी और अन्य सदस्यों के लिए ये भारत सरकार के अपर सचिव के समतुल्य होंगी।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा की निबंधन और शर्तें, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके अपहित में परिवर्तित नहीं होगा।

6. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र.-

(1) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व तीन मास से अन्यून अग्रिम में लिखित सूचना देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस देने के पश्चात रिक्त हुए पद पर जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है या नोटिस की तारीख से तीन मास बीत जाने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

7. अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना.-

(1) केंद्रीय सरकार, किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो -

(क) दिवालिया है, या किसी भी समय एक न्यायनिर्णीत दिवालिया हो गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया है, जो केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता के अंतर्गत आता है; या

(ग) जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है;

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे एक सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जो, केंद्रीय सरकार की राय में, अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहना लोकहित के लिए अहितकर हो; या

(च) अपने पदावधि के दौरान किसी अन्य नियोजन में कार्य करने लगा हो; या

(छ) अध्यक्ष को सूचित किए बिना 7 दिन से अधिक की अवधि के लिए बिना किसी युक्तियुक्त कारण से अपने कार्यालय से और कर्तव्यों के पश्चातवर्ती निवर्हन से अनुपस्थित रहा हो।

(2) किसी अध्यक्ष या सदस्य को उप-नियम (1) के खंड (घ) या खंड (ड.) के अधीन उनके पद से तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक उन्हें मामले में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

8. बोर्ड के सदस्य के नियोजन का निर्बंधन.-

(1) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस तारीख से जब वह अपना पदधारण करने से परिवरित हो जाता है, एक वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन बोर्ड से संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

परंतु इस धारा के उपबंध वैसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां इस संबंध में केंद्रीय सरकार से लिखित में विशिष्ट प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया है।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पदधारण से विरत होने के एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी अभिकर्ता, प्रशासक, अधिकारी, निदेशक, प्रतिधारक, कार्यकारिणी समिति का सदस्य या शेयरधारक या इक्विटी स्वामी या लाभकारी स्वामी के रूप में कार्यरत अध्यक्ष या किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होने का अर्थ लगाया जाएगा।

9. बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.-

(1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जिसे इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझता हो, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर या संविदा के आधार पर नियुक्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, बोर्ड के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

10. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.-

(1) बोर्ड सड़क सुरक्षा, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा यातायात और मोटर यान विनियमन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) बोर्ड, उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार के लिए दिशा-निर्देशों और विनियमों का नियमन करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु इतने तक सीमित नहीं हैं:

(क) डिजाइन, भार, निर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया, संचालन और रखरखाव, मोटर वाहनों को वापस मंगाना और सुरक्षा उपस्करों के मानक;

(ख) मोटर वाहनों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन;

(ग) सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंचना और यातायात के नियंत्रण के लिए मानकों को बनाया जाना;

(घ) देश में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानकों को बनाया जाना;

(ड.) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के प्रशासन पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना;

(च) सुरक्षा उपस्करों की लागतों का अवधारण;

(छ) राज्य प्राधिकारियों के साथ सलाह करके व्यवसायिक स्थापनों, सूचना पट्टों और व्यवसायिक संकेतकों के विनियमन के लिए एक विनियामक ढांचा विकसित करना;

(ज) सड़कों और राजमार्गों पर यातायात संबंधी क्षतियों से निपटने के लिए ट्रॉमा सुविधाओं और परा-चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करना;

(झ) ऐसी सहायता को सुकरन बनाने वाले के जीवन को कोई अड़चन पहुंचाए बिना सड़क दुर्घटना के पीडितों के लिए अधिकतम सहायता सुनिश्चित करने के लिए नेक व्यक्ति के सिद्धांत को सम्प्रवर्तित करना;

(ञ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से निपटने वाले यातायात पुलिस, अस्पताल प्राधिकारियों, राजमार्ग प्राधिकारियों, शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करना;

(ट) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं की अभिवृद्धि करना और उसका समर्थन करना, सड़क सुरक्षा और यातायात शिक्षा कार्यक्रमों को चलाना और सड़क प्रयोक्ताओं के सभी वर्गों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना;

(ठ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में पणधारकों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना और दक्षतापूर्वक यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा प्रथाओं के संवर्धन में उनकी सहायता करना;

(ड) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित मामलों में अन्य अभिकरणों जैसे शिक्षा बोर्ड और संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय रखना;

(ढ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं और स्कीमें;

(ण) सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित और सतत उपयोग को सुकर बनाना;

(त) वार्षिक रूप से इसके द्वारा तय किए गए संपादन लक्ष्य;

(थ) अधिनियम की धारा 2ख के अनुसार साधारण रूप से वाहन इंजीनियरी, यंत्र नोदित वाहनों और यातायात के क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से नई वाहन प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना;

(द) अरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा;

(ध) मोटर वाहनों और सड़कों के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना;

(न) मोटर वाहन मानकों के कार्यों पर अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय की अभिवृद्धि करना;

(प) अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता की अभिवृद्धि करना और यह सुनिश्चित करना कि देश में अपनाए गए सुरक्षा के स्तर से कोई समझौता न किया गया हो;

(फ) डाटा एकत्र करके अनुसंधान करना और सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए विश्लेषण और योजना गतिविधियों का संचालन करना और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना;

(ब) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए ऐसी योजनाओं को तैयार करना और लागू करना जो आवश्यक हो;

(भ) तकनीकी सहयोग, गतिविधियों का समन्वय, सूचना और डाटा संग्रहण का आदान-प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन तथा इसके उत्तरदायित्व के भीतर आने वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान;

(म) प्रतिस्पर्धा, नवाचार, दक्षता को प्रोत्साहित करना और संसाधनों का किफायती उपयोग;

(य) ऐसे अन्य मामले, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

11. बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य.-

अध्यक्ष के पास बोर्ड के मामलों के संचालन में सामान्य अधीक्षण और निर्देशों की शक्ति होगी और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त बोर्ड की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित या बोर्ड द्वारा उसको प्रत्यायोजित की गई हों।

12. बोर्ड की बैठकें.-

1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य एक मास में कम से कम एक बार बैठक करेंगे और ऐसे समय और स्थानों पर और ऐसी बैठकों के लिए कोरम सहित बैठकों के कारोबार संचालन के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसका बोर्ड की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, जैसे ही वह उसके संज्ञान में आता है, बोर्ड को हित की प्रकृति का प्रकटीकरण करेगा।

3) उप-खंड (3) के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रकटन को बैठक की कार्यवाही में अभिलिखित किया जाएगा और अध्यक्ष या ऐसा सदस्य उस मामले या उससे संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में किसी विचार-विमर्श या बोर्ड के निर्णय से खुद को अलग कर लेगा:
परंतु, यदि अध्यक्ष, बोर्ड की कार्यवाही से स्वयं को अलग रखता है, तो वह उस मामले के लिए अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड के किसी सदस्य को पदाभिहित करेगा।

परंतु यदि कोई सदस्य बोर्ड की कार्यवाही से स्वयं को अलग रखता है, तो केंद्रीय सरकार बैठक में उपस्थिति के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करेगी।

4) बोर्ड के सभी आदेश और निर्णय इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किए जाएंगे।

5) बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल बोर्ड के गठन में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा और न ही अविधिमान्य किया जाएगा।

13. तकनीकी कार्यकारी समूह.-

1) बोर्ड अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए इतने तकनीकी कार्यकारी समूहों का गठन कर सकेगा जितना वह आवश्यक समझता हो, जो ऐसे स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों से मिलकर बनेगा, जिनके पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वतंत्र निर्णय लेने और उसे बनाए रखने की क्षमता होगी।

2) उप-नियम (1) के अधीन गठित किया गया प्रत्येक तकनीकी कार्यकारी समूह की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा नामित बोर्ड के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जिसे सुसंगत क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होगा।

3) इसको सौंपे गए मामलों पर विचार-विमर्श के लिए तकनीकी कार्यकारी समूह संबंधित उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को इस विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

4) तकनीकी सदस्यों की संख्या और उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन तकनीकी कार्यकारी समूहों को गठित किए जाने के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

5) उप-नियम (1) के अधीन गठित तकनीकी कार्यकारी समूह को निम्नलिखित मामलों में से कोई भी मामला सौंपा जा सकेगा, अर्थात:-

(क) सड़क मानकों सहित परिवहन अवसंरचना और सुरक्षा;

(ख) यातायात प्रबंधन;

(ग) दुर्घटना अन्वेषण और न्याय संबंधी;

(घ) डाटा संग्रहण और वैश्लेषिकी;

(ङ) मोटर यान मानक;

(च) चालन कौशल परीक्षण;

(छ) प्रौद्योगिकी का विकास, इसका उपयोग और मदिरा के नशे और मादक पदार्थों का सेवन करके तेज गति से वाहनों के चालन को जांचने के लिए परीक्षण मानक;

(ज) पहले से प्रयुक्त वाहनों की जांच और प्रमाणन;

(झ) वाहन ईंधन गुणवत्ता;

(ञ) वाहन ध्वनि मानक;

(ट) मोटर वाहनों से संबंधित तृतीय-पक्षकार बीमा;

(ठ) बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा गया कोई अन्य मामला जो इस तकनीकी कार्यकारी समूह को सौंपा जा सकता है।

6) बोर्ड समय-समय पर विशेषज्ञों की संख्या को बढ़ाकर और घटाकर या ऐसे समूहों को सौंपे गए विषय वस्तुओं को परिवर्तित कर तकनीकी कार्यकारी समूहों को पुनर्गठित कर सकेगा।

7) बोर्ड तकनीकी कार्यकारी समूहों के सुचारू कामकाज के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और अनुसंधान सहायता प्रदान करेगा।

14. बोर्ड की शक्ति का प्रत्यायोजन.-

बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों को (विनियम बनाने की शक्तियों के सिवाय) लिखित में किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को या ऐसी शर्तों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

15. अध्यक्ष और सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना.-

अध्यक्ष, सदस्यों और अपील अधिकरण के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक समझा जाएगा।

16. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.-

कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए विनियम सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने के लिए केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी या कोई सदस्य, अधिकारी या बोर्ड के अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

17. अधिकारिता का वर्जन.-

किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे बोर्ड, नियमों द्वारा या के अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है।

[फा. सं. आरटी-16011/01/2015-आरएस]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2020

G.S.R. 754(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 215B, sub-section (1) of section 215C and sub-clause (c), (d) and (e) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government,

Draft Rules

1. **Short Title and commencement.-**

(1) These rules may be called the National Road Safety Board Rules, 2020.

1. They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires:**

(a) 'Act' means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(2) The words and expressions used herein and not defined and defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Establishment of the National Road Safety Board.-**

1. The Central Government shall in accordance with sub-section (1) of section 215B of the Act constitute a Board to be called the National Road Safety Board, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under the Act.
2. The head office of the Board shall be in the National Capital Region referred to in clause (f) of section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985.
3. The Board may establish offices at other places in India.

4. **Composition of the Board.-**

1. The Board shall consist of:

a. the Chairman and not less than three but not exceeding seven members to be appointed by the Central Government from amongst the persons who fulfil the criteria specified in sub-section (2):

PROVIDED that a person who is or has been in the service of Government shall not be appointed as —

i. Chairman, unless he has held the post of Secretary or its equivalent, to the Government of India;

ii. a member, unless he has held the post of Additional Secretary or its equivalent, to the Government of India or any equivalent post in the Central Government or the State Government;

PROVIDED further that a person who is not or has not been in the service of the Government shall not be appointed as –

i. Chairman, unless he has attained 55 years of age coupled with a minimum experience of 20 years in any of the fields mentioned under sub-rule (2);

ii. A member, unless he has attained 45 years of age coupled with a minimum experience of 20 years in any of the fields mentioned under sub-rule (2);

a. the Secretary to the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways or his representative who shall be an ex-officio member.

1. Every member of the Board shall be a person of ability, integrity and standing, having special knowledge of, or professional experience in, one or more fields of automobile, road transport and safety, urban planning, law, traffic management and regulation, health and advocacy, police enforcement and investigation, insurance, automobile engineering, civil engineering, marketing and communications, which, in the opinion of the Central Government, is useful for the Board to render its functions and fulfil its objectives under this Act

2. The Chairman and other members of the Board shall be whole-time members.

3. The Chairman and other members of the Board shall be selected in such manner as may be prescribed by the Central Government and their appointment shall be notified in the Official Gazette.

5. **Term of office of Chairman and other members.-**

1. Before appointing any person as a Chairman or Member, the Central Government shall satisfy itself that such person has no financial or other interest that may be prejudicial to his functions as such Chairman or Member.

2. The Chairman or a Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for a maximum of one more term:

PROVIDED further that no Chairman or other Member shall hold office, as such after he attains–

a. in the case of the Chairman, the age of sixty-five years;

b. in the case of any other Member, the age of sixty-two years

1. The salary, allowances, and other terms and conditions of service of Chairman shall be equivalent to that of Secretary to the Government of India and that of other Members shall be equivalent to that of Additional Secretary to the Government of India.

2. The terms and conditions of service of the Chairman and the Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

6. **Resignation of Chairman and Members.-**

1. The Chairman or a Member of the Board may resign office at any time before the expiry of his term, by giving to the Central Government an advance notice in writing of not less than three months.

2. The Chairman or a Member of the Board, after giving notice under sub-section (1), shall continue to hold office until the Central Government appoints a person to the office so vacated, or till the expiry of three months from the date of notice, whichever is earlier.

7. **Removal of Chairman and Members.-**

1. The Central Government may remove from office any member, who-

a. is, or at any time has been adjudged an insolvent; or

b. has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

c. has become physically or mentally incapable of discharging his duties; or

d. has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

e. has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or

f. has engaged at any time during his term of office in any other employment; or

g. has remained absent from his office and subsequent discharge of duties without any reasonable cause for a period of more than 7 days, without informing the Chairman.

1. No Chairman or member shall be removed from his office under clause (d) or clause (e) of sub-rule (1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

8. **Restrictions of employment of Member of the Board.-**

1. The Chairman or a member of the Board shall not, for a period of one year from the date on which he ceases to hold office as such, accept any employment relating to the Board under this Act.

PROVIDED that the provisions of this section shall not apply in cases where specific authorisation in this regard has been obtained in writing from the Central Government.

Explanation — For the removal of doubts, it is hereby clarified that, the Chairman or a member acting as an agent, administrator, officer, director, retainer, member of the executive committee or shareholder or equity owner or beneficial owner before the expiry of one year on ceasing to hold office as such Chairman or a member shall be construed to have direct or indirect interest.

9. **Officers and other employees of Board.-**

1. The Board may, with the prior approval of the Central Government, appoint such officers and other employees as it may consider necessary, for the efficient discharge of its functions under this Act, on deputation from the Central Government or State Government or on contract basis.

2. The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Board and the number of such officers and employees shall be such as may be specified by the Board by regulations.

10. **Powers and Functions of the Board.-**

1. The Board shall be responsible for promoting road safety, innovation and adoption of new technology and for regulating traffic and motor vehicles.

2. For the purposes of sub-rule (1), the Board shall, for consideration by the Central Government, formulate guidelines and regulations including but not limited to:

a. the standards of design, weight, construction, manufacturing process, operation and maintenance, recall of motor vehicles and of safety equipment;

b. the registration and licensing of motor vehicles;

c. the formulation of standards for road safety, road infrastructure and control of traffic;

d. the formulation of specific standards for road safety, traffic management and road construction for hilly regions in the country;

e. provide technical advice and assistance to the Central Government, State Government and local authorities on administration of road safety and traffic management;

f. the determination of costs of safety equipment;

g. develop, in consultation with State Authorities, a regulatory framework for regulation of commercial establishments, billboards and commercial signage;

h. specify guidelines for establishing and operating trauma facilities and para-medical facilities for dealing with traffic related injuries on roads and highways;

i. promote the principle of Good Samaritan so as to ensure maximum aid for victims of a road accident without causing any impediment to the life of those facilitating such aid;

j. specify guidelines for capacity building and development of skills for traffic police, hospital authorities, highway authorities, educational and research organisations and other organisations dealing with road safety and traffic management;

k. promote good practices in road safety and traffic management and advocacy of the same, undertake road safety and traffic education programmes, and conduct campaigns to create awareness amongst all sections of road users;

l. involve stakeholders and non-government organisations working in the area of road safety and traffic management, and assist them in promotion of efficient traffic management and road safety practices;

m. co-ordinate with other agencies such as education boards and institutions, health services and non-government organisations in matters relating to road safety and traffic management;

n. public-private partnership projects and schemes;

o. the facilitation of safe and sustainable utilisation of road transport ecosystem;

p. the performance targets set by it annually;

q. the promotion of new vehicle technology through innovation, research and development in the fields of vehicular engineering, mechanically propelled vehicles and transportation in general as per Section 2B of the Act;

r. the safety of vulnerable road users;

s. contribute to the development of international technical standards for motor vehicles and roads;

t. promote co-ordination with the international governmental organisations and non-governmental organisations on the work of motor vehicle standards;

u. promote consistency between international technical standards and domestic technical standards and ensure that the level of safety adopted in the country is not compromised;

v. conduct research, by way of collecting data and undertake analysis and planning activities to improve road safety, traffic management, crash investigation and such other measures as may be necessary for the purposes of this Act;

w. prepare and implement such plans as may be necessary to improve road safety;

x. establish a network of organisations to facilitate technical co-operation, co-ordination of activities, exchange of information and data collection, the development and implementation of joint projects, exchange of expertise and best practices in the fields which falls within its responsibility;

y. encourage competition, innovation, efficiency and economical use of resources;

z. such other matters as may be referred to it by the Central Government.

11. **Powers and Functions of Chairman of Board.-**

The Chairman shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of affairs of the Board and he shall, in addition to, presiding over the meetings of the Board, exercise and discharge such powers and functions of the Board as may be prescribed by the Central Government, or delegated to him by the Board.

12. **Meetings of the Board.-**

1. The Chairman and the members of the Board shall, meet at least once a month, and at such times and places, and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, including quorum for such meetings, as may be prescribed by the Central Government.

2. The Chairman or any member who has any direct or indirect interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board shall, as soon as it comes to his knowledge, disclose the nature of interest to the Board.

3. A disclosure made by the Chairman or a member under sub-section (3) shall be recorded in the proceedings of the meeting, and the Chairman or such member shall recuse from any deliberation or decision of the Board with respect to that matter or any matter connected therewith:

PROVIDED that if the Chairman has to recuse himself from a proceeding of the Board, he shall designate a member of the Board to discharge the functions of the Chairman for that matter.

PROVIDED that if a member has to recuse himself from a proceeding of the Board, the Central Government shall authorise a person to attend the meeting.

1. All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the member authorised by the Board in this behalf.

2. No act or proceedings of the Board shall be questioned or invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

13. **Technical Working Groups.-**

1. The Board shall for the efficient discharge of its functions, constitute as many Technical Working Groups as it may consider necessary, which shall consist of independent technical experts, having the ability to maintain and exercise independent judgment in the discharge of their duties.

2. Each Technical Working Group constituted under sub-rule (1) above, shall be headed by such member of the Board designated by the Chairman, having regard to his special knowledge and experience in the relevant field.

3. The Technical Working Group for undertaking deliberations on the matters entrusted to it shall invite the relevant industry and consumer representatives to participate in its deliberations.

4. The number of technical members and the procedure for constituting the technical working groups under sub-rule (1) above, shall be such as may be specified by regulations by the Board.

5. The Technical Working Group constituted under sub-rule (1) above, may be entrusted with any of the following matters, namely:-

   a. transport infrastructure and safety, including road standards;

   b. traffic management;

   c. crash investigation and forensics;

   d. data collection and analytics;

   e. motor vehicle standards;

   f. driving skill testing;

   g. development of technology, its use and testing standards for checking driving of motor vehicles under the influence of alcohol or intoxicating drugs or over speeding;

   h. inspection and certification of vehicles already in use;

   i. vehicle fuel quality;

   j. vehicle noise standards;

   k. third party insurance relating to motor vehicles;

   l. any other matter that may be entrusted to such technical working group as may be considered necessary by the Board.

1. The Board may from time to time re-constitute the Technical Working Groups by increasing or decreasing the number of experts or by changing the subject matters entrusted to such Technical Working Groups.

2. The Board shall provide the administrative, financial and research support for smooth functioning of the Technical Working Groups.

14. **Power of Board to delegate.-**

The Board may, by a general or special order made in writing, delegate to any member, officer of the Board or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in that order, such of its powers and functions under this Act (except the powers to make regulations), as it may deem necessary.

15. **Chairman and Members, etc., to be public servants.-**

The Chairman, Members and other officers and employees of the Appellate Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

16. **Protection of action taken in good faith.-**

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or the Board or any officer of the Central Government or any member, officer or other employees of the Board for anything which is in good faith done or intended to be done under the Act or the rules or regulations made thereunder.

17. **Bar of Jurisdiction.-**

No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Board is empowered by or under the rules to determine."

[F.No. RT-16011/01/2015-RS]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.08 22:04:09 +05'30'